

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1686
(दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

निजी एफएम रेडियो चरण-III नीति

1686. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण-III नीति के अंतर्गत 730 चैनलों की ई-नीलामी को मंजूरी दे दी है;
- (ख) यदि हाँ, तो उक्त नीति के अंतर्गत आंध्र प्रदेश से शामिल किए जाने वाले शहरों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) वर्ष 2015 में नीलामी के बाद से मौजूदा रेडियो एफएम चैनलों से सरकार को प्राप्त राजस्व का वर्ष-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरुगन)

(क) से (ग): 28 अगस्त 2024 को, सरकार ने आंध्र प्रदेश के 68 चैनलों सहित 234 नए शहरों जिनमें पहुंच नहीं है, 730 प्राइवेट एफएम चैनलों की ई-नीलामी को मंजूरी दे दी।

इन चैनलों का शहर-वार विवरण, जिसमें पिछली नीलामी से प्राप्त राजस्व भी शामिल है, मंत्रालय की वेबसाइट (लिंक क्रमशः https://mib.gov.in/sites/default/files/2024-12/nia_14oct2024_final.pdf एवं <https://mib.gov.in/sites/default/files/2025-07/revenue-160-channels-92-cities.xlsx>) पर उपलब्ध है।
